— 21

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, म0प्र0.

राज0 निगरानी क्र0/ /014

निगरानी 72-III-15

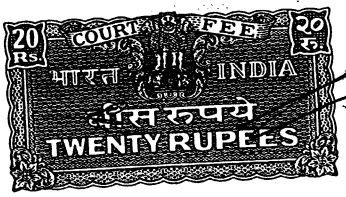

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 20/-

854
26.12.14

01- अवनी तनय दरवारीलाल तिवारी उम्र-38 वर्ष पेशा-कृषि

02- श्रीमती गिरिजा बाई बेवा पत्नी श्री दरवारी लाल तिवारी उम्र- 65 वर्ष पेशा-कृषि

श्री संजय तिवारी एड के द्वारा आज दिनांक 26.12.14 प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

दोनों निवासी ग्राम सलैया, थाना इंदवार, तह0 मानपुर, जिला उमरिया, म0प्र0.

------आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

बाल्मीक पिता गोविन्द गुप्ता उम्र-70 वर्ष पेशा-कृषि, निवासी ग्राम सलैया, थाना इंदवार, तह0 मानुपुर, जिला उमरिया, म0प्र0.

-----अनावेदक/गैर निगरानीकर्तागण.

क्रमांक 4237
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक .... को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध कार्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल चिल्हारी, तह0 मानपुर, जिला उमरिया, म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र0 30/अ-12/13-14 आदेश दिनांक 20.06.2014 मे पारित ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य निम्न है :-

भूमि खसरा नं0 370/1 स्थित ग्राम सलैया, रा0नि0मं0 निरीक्षक चिल्हारी, तह0 मानुपर जिलाउमरिया, का सीमांकन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अना0 ने प्रकरण प्रस्तुत किया आवेदकगण/निगरानीकर्तागण सरहददी काश्तकार है ।

निरंतर..2पर

vXXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अश्वनी तिवारी /बाल्मीक गुप्ता

प्रकरण कमांक निग0 72–तीन/15 **जिला – उमरिया**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/4/16	आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल चिल्हारी, तह0 मानपुर जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 30/अ–12/13–14 आदेश दिनांक 20–06–2014 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक ने ग्राम सलैया की भूमि खसरा नं. 370/1 तहसील मानपुर जिला उमरिया का सीमांकन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । राजस्व निरीक्षक चिल्हारी द्वारा सीमांकन किया गया तथा कोई आपत्ति न आने पर उसकी पुष्टि कर दी । आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक कमांक 1 व 2 सर्वे नं. 379/2 तथा 370/2 के भूमि स्वामी है, । तथा सरहदी काश्तकार है, परन्तु उन्हें सूचना दिये बगैर ही राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कर दिया गया । मौका पंचनामा पर अश्वनी के हस्ताक्षर फर्जी है । अतः सीमांकन कार्यवाही नियमानुसार न होने से निगरानी स्वीकार कर सीमांकन आदेश निरस्त कर दिया जाय । प्रकरण का अवलोकन किया । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 20–6–2014 को सीमांकन किया गया जिसके विरूद्ध दिनांक 26–12–2014 को निगरानी प्रस्तुत की गई है । निगरानी आवेदन के साथ धारा–5 अवधि विधान के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । जिसमें यह	

बताया कि उन्हें विचाराधीन आदेश की जानकारी तहसील न्यायालय में धारा–250 की कार्यवाही प्रारम्भ करने पर सूचना पत्र दिनांक 21–11–2014 को प्राप्त हुई । तब आदेश की नकल प्राप्त होने के पश्चात् यह निगरानी दिनांक 26–12–2014 को प्रस्तुत की गई है । अतः विलम्ब क्षमा किया जाय । आवेदक द्वारा इस आवेदन के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे कि धारा–250 की कार्यवाही का सूचना पत्र प्रस्तुत नहीं किया । राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन हेतु दिये गये, सूचना पत्र पर आवेदक अश्वनी के हस्ताक्षर है । इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा आदेश दिनांक के 6 महीने पश्चात् निगरानी प्रस्तुत की गई, जो समयावधि के बाहर है । निगरानी अग्राहय की जाती है ।

सदस्य